रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2019/आषाढ़ 17, 1941
No. 399] NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2019/ ASHADHA 17, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 490(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, रोजगार निदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2015 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक रोजगार के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय में उप निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, उप निदेशक, रोजगार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक रोजगार	29* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11, (67,700-2,08,700 रु.)	चयन	40 वर्ष की आयु से अनाधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण: -** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यकः- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या वाणिज्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या लोक प्रशासन या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री, (ii) निम्न क्षेत्रों में से किसी में भी पांच वर्ष का अनुभवः (क) आंकडों के संग्रह, विशलेषण और निर्वचन करना या सामाजिक-आर्थिक अन्वेषण, या जनसांख्यिकी, रोजगार या बेकारी और श्रम बाजार से संबंधित अनुसंधान या (ख) रोजगार सेवा संचालन जिसके अंतर्गत रोजगार या बाजार सूचना, कैरियर या रोजगार मंत्रणा, व्यवसायिक मार्गदर्शन और कैरियर सूचना। (ग) मानव संसाधन भर्ती या प्रबंधन के क्षेत्र में, नौकरी ढूंढने वालों के संभावित मूल्यांकन के लिए वैश्लेषिकी और मानस मिति संबंधी तंत्र और भर्ती पोर्टल के साथ काम करने का अनुभव; या

						घ) विद्यालयों और महाविद्यालयों में आगे बढ़ने की गतिविधियों और जॉब फेयर का आयोजन जिसमें शिक्षा विद के साथ एकीकरण, स्थानीय उद्योग, उद्योग संघ और प्रशिक्षण प्रदात्य सम्मिलित है, का अनुभव; या (ड) अपेक्षित उद्योग कौशल और बाजार के रुख के साथ कैरियर इवेन्ट्स के आयोजन, विकास और कार्यान्वयन, कैरियर संबंधी गतिविधियों को प्रचार के लिए प्रकाशित करने, अपेक्षित उद्योग कौशल और बाजार के रुख के साथ जॉब रोल्स और व्यवसाय की मैपिंग करने का अनुभव; या (च) दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास, प्लेसमेंट, मूल्यांकन व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार परामर्श में अनुभव **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं - हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	30% प्रोन्नति द्वारा और 70% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नतिः स्तर – 10 (56,100-1,77,500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहायक निदेशक रोजगार, **टिप्पण- 1**: श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उप निदेशक रोजगार के प्रोन्नति के पद के कर्तव्यों और उत्तर दायित्वों से संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऐसे व्यक्तियों जो दो वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं प्रोन्ति के लिए ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण- 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हैं, और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
I. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) सचिव या अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, - सदस्य; (3) उप महानिदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय - सदस्य; (4) रोजगार निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य ।	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित पर किसी अधिकारी को नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

II. समूह "क" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- (1) सचिव या अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, - सदस्य; (3) उप महानिदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय - सदस्य; (4) रोजगार निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य ।	

[फा.सं.डीजीई-ए-12018/01/2018-प्रशा.-II]

सत्येन्द्र बहादुर सिंह, उप महानिदेशक (रोजगार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2019

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Directorate of Employment (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of Deputy Director of Employment, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Employment in the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment, Deputy Director of Employment (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.–**The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—** No person,-

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be reordered in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director of Employment.	29* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67,700 -2,08,700)	Selection.	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	Essential: (i) Master's degree in Economics or Statistics or Mathematics or Commerce or Psychology or Sociology or Social Work or Public Administration or Business Administration from a recognised University or Institute. (ii) Five years' experience in any of the following fields: a) Collection, analysis and interpretation of data, or socio-economic investigation, or research relating to demographics, employment or unemployment and labour market; or b) Employment service operations including employment or market information, career or employment counseling, vocational guidance and career information; or c) Experience in the areas of Human Resource recruitment or Management, analytics and Psychometric framework for potential assessment of the jobseekers and dealing with recruitment Portal; or d) Experience in outreach activities in schools or colleges and conducting job-fairs including integration with academia, local industries, industries associations and training providers; or e) Experience in organising, developing and

						implementation of career events, publications to publicize career related activities, mapping the job roles and occupations with the required industry skills, and market trends; or f) Experience in, Rehabilitation, Placement, Evaluation, Vocational training and employment counseling to the Persons with Disability (DIVYANG). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified **Note 2:** Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Age- No. Educational Qualifications-Yes.	One year for direct recruits.	Thirty percent by promotion and seventy percent by deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	Promotion: Assistant Director of Employment with five years' regular service in level-10 (Rs.56,100 – 1,77,500). **Note 1:** Successfully completion of two weeks' training in sphere of duties or responsibilities of the promotional posts of Deputy Director of Employment from National Institute for Career Services, NOIDA, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment or any other Institute recognised by Government of India.

			Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies or recognised Universities or Institutions: (a) (i) holding Analogous posts on regular basis in parent cadre or department; (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs.56,100 – 1,77,500) in pay matrix or equivalent in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman; (2) Director General, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment - Member; (3) Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment - Member;	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making Direct Recruitment and appointing an officer on Deputation (Including Short Term Contract) basis.

(4) Director of Employment, Directorate General of Employment - Member. II. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman; (2) Director General, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment - Member; (3) Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment - Member; (4) Director of Employment, Directorate General of Employment - Member.	

[F. No. DGE-A-12018/01/2018-Adm.-II]

SATYENDRA BAHADUR SINGH, Dy. Director General of Employment

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.11 19:50:07 +05'30'